



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/क.अ./ज.ग्र.वि./विविध/17/4029

जयपुर, दिनांक :- 24.10.17

आदेश

श्री योगेश चन्द्र गौड, सहायक अभियन्ता (ज.ग्र.वि.भू.सं.) जो कि पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर पर व्याख्याता अभियांत्रिकी के पद पर पदस्थापित हैं, का नियमित पदोन्नति पर जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण ने उनके आदेश क्रमांक 19327-42 दिनांक 28.3.2016 द्वारा पदस्थापन पंचायत समिति, बाली में सहायक अभियन्ता (पीआईए) के पद पर पदस्थापन किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए पदोन्नति पर यथावत पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर में कार्य करते रहने के आदेश प्रदान किये जाते हैं ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. उप शासन सचिव (प्रशिक्षण) मुख्यालय ।
5. अतिरिक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 32475-77 दिनांक 23.8.17 के संदर्भ में ।
6. जिला कलेक्टर, पाली/डूंगरपुर ।
7. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली/डूंगरपुर ।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बाली (पाली)
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
10. आचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर को उनके पत्र क्रमांक 220-225 दिनांक 23.5.17 के संदर्भ में ।
11. श्री योगेश चन्द्र गौड, सहायक अभियन्ता (व्या. अभि.) पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर ।
12. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव